



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

दिनांक – 07.10.2022

दिशा निर्देश – Guideline

राष्ट्रीय लोक अदालत – 12.11.2022

1. माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.11.2022 का (ऑनलाईन एवं ऑफलाईन माध्यम से) निम्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/प्राधिकारियों/आयोगों/मंचों/अन्य अर्द्धन्यायिक कार्यवाहियों की सुनवाई करने वाले प्राधिकारियों में आयोजन किया जाना है :-

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर
3. समस्त अधीनस्थ न्यायालय (पारिवारिक न्यायालयों एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों सहित)
4. राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं समस्त जिला उपभोक्ता मंच
5. राजस्थान रियल एस्टेट अपील ट्रिब्युनल (REAT), जयपुर
6. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
7. राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर
8. राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेट्री अथॉरिटी (RERA), जयपुर
9. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
10. ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर
11. राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिकरण
12. राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण
13. राजस्थान राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण
14. अपीलीय अधिकरण-जयपुर विकास प्राधिकरण
15. लैंड एक्वीजीशन रि-हेबीलिटेशन एण्ड रि-सैटलमेंट अथॉरिटी (LARRA), जयपुर
16. राजस्थान वक्फ ट्रिब्युनल, जयपुर
17. रेलवे क्लेमस ट्रिब्युनल, जयपुर
18. राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर
19. राजस्व मंडल, अजमेर
20. समस्त राजस्व न्यायालय (सम्भागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त/महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक/समस्त उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक/समस्त राजस्व अपीलीय प्राधिकारी/समस्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर के न्यायालयों सहित)
21. समस्त स्थायी लोक अदालतें
22. समस्त वाणिज्यिक न्यायालय
23. समस्त श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण
24. श्रम आयुक्त/उपायुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी एवं श्रम विभाग के अन्य अधिकारी/प्राधिकारी
25. अन्य समस्त ऐसे प्राधिकारी/अधिकरण/मंच/आयुक्त, आदि जो कि अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही के तहत अपील, निगरानी अथवा निर्देश, आदि की सुनवाई करने में सक्षम हैं।

2. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक डिजिटल प्लेटफार्म **RSLSA-22** तैयार किया गया है तथा गत राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.08.2022 में प्री-लिटिगेशन

प्रकरणों को दर्ज करने से लेकर अवार्ड पारित किए जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही इसी पोर्टल के माध्यम से सम्पन्न की गई थी।

दिनांक 12.11.2022 को आयोजित की जा रही इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 13.08.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपनाई गई प्रक्रिया व पद्धति के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफार्म **RSLSA-22** का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं समस्त अधीनस्थ न्यायालयों/राजस्व न्यायालय/न्यायाधिकरणों/मंचों/प्राधिकारियों/आयोगों/अथोरिटीज/आयुक्त, आदि में **प्री-लिटिगेशन** के साथ-साथ **लम्बित प्रकरणों** को भी राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर करने तथा उनमें आवश्यकतानुसार ऑनलाईन प्री-काउंसलिंग आयोजित करने एवं अन्य समस्त संबंधित (associated) कार्यवाही अमल में लाए जाने हेतु व्यापक रूप से उपयोग में लिया जाना है।

3. राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की प्रक्रिया एवं प्रणाली (Procedure & Method for Conducting National Lok Adalat):—

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों की विषय-वस्तु के संबंध में कोई श्रेणी नहीं दी गयी है, बल्कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के अनुसार विषय-वस्तु/श्रेणी तय किए जाने हेतु निर्देशित किया है। अतः उक्तानुसार निम्न प्रकार के प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाना है:—

A. प्रकरण जो ऑनलाईन/ऑफलाईन राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु चिन्हित किए जा सकते हैं (Cases which may be identified for Online/Offline National Lok Adalat)–

(i) प्री-लिटिगेशन प्रकरण (Pre-Litigation Cases) –

1. किसी नागरिक एवं सरकार या उसके किसी विभाग/उपक्रम के मध्य सभी प्रकार के विवाद (राजस्थान लिटिगेशन पॉलिसी, 2018 के तहत निराकरण के प्रयास)।
2. मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित क्लेम के विवाद।
3. घातक दुर्घटना अधिनियम से संबंधित क्लेम के विवाद।
4. धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (NI Act) के विवाद।
5. धन वसूली के सभी प्रकार के विवाद (Agriculture Debt Relief Act के मामलों/Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESI Act, 2002) के तहत वसूली के हर प्रकार के मामलों सहित)।
6. गृहकर (House Tax)/नगरीय विकास कर (UD Tax) के विवाद (जो स्थानीय निकायों द्वारा वसूल किया जाता है)
7. शहरी जमाबंदी (Annual Lease Money) के विवाद (जो डवलपमेन्ट अथॉरिटीज/यूआईटी द्वारा वसूल की जाती है)
8. फसल बीमा पॉलिसी से संबंधित विवाद।
9. व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं ग्राहकों के मध्य विवाद।
10. श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद।
11. **पंजीकृत निर्माण श्रमिकों** के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं यथा; निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, प्रसूति सहायता योजना, हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना, सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों

हेतु सहायता योजना, शुभ शक्ति योजना, निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना, निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना, निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना, निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना, निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्री का आई.आई.टी./आई.आई.एम. में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुनर्भरण योजना, निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय की पुनर्भरण योजना एवं निर्माण श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं हेतु प्रोत्साहन योजना, आदि से संबंधित लम्बित प्रार्थना-पत्र।

12. बिजली, पानी, मोबाईल, क्रेडिट कार्ड एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित विवाद।
13. भरण-पोषण से संबंधित सभी प्रकार के विवाद।
14. राजस्व विवाद [सीमाज्ञान (पैमाइश)/पत्थरगढ़ी/जमाबन्दी-रिकॉर्ड शुद्धि/नामान्तरण/रास्ते का अधिकार, सुखाचार एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित]।
15. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 135 व 183बी के तहत आने वाले विवाद।
16. अन्य सभी प्रकार के सिविल विवाद।
17. सर्विस मैटर्स के विवाद (पदोन्नति एवं वरिष्ठता संबंधी विवादों को छोड़कर)।
18. उपभोक्ता विवाद।
19. जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद।
20. अन्य राजीनामा योग्य विवाद (जो अन्य अधिकरणों/आयोगों/मंचों/अर्थॉरिटी/आयुक्त/प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं)

(II) न्यायालय में लंबित प्रकरण (Cases pending in Court) :-

- माननीय उच्च न्यायालय में:-
- 1. धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित समस्त फौजदारी अपील/रिविजन/रिट याचिका/आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा 482 द.प्र.सं.।
- 2. पारिवारिक विवाद से संबंधित समस्त प्रकरण।
- 3. वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भरण-पोषण के विवाद/बच्चों की अभिरक्षा के प्रकरण/घरेलू हिंसा, आदि से संबंधित समस्त प्रकरण।
- 4. राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों से संबंधित समस्त प्रकरण (फौजदारी अपील, फौजदारी निगरानी याचिकाएं, रिट याचिकाएं एवं आपराधिक विविध याचिकाएं)।
- 5. धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत दायर अन्य आपराधिक विविध याचिकाएं (05 वर्ष से अधिक पुरानी याचिकाएं)।
- 6. मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित समस्त सिविल मिसलेनियस अपीलें।
- 7. स्पेशल अपील (रिट)।
- 8. स्पेशल अपील (सिविल)।
- 9. समस्त दीवानी निगरानी याचिकाएं।
- 10. समस्त द्वितीय अपील।
- 11. समस्त दीवानी विविध अपील।
- 12. समस्त दीवानी विविध रिट याचिकाएं (अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों से उद्भूत)।
- 13. अन्य दीवानी विविध रिट याचिकाएं (05 वर्ष से अधिक पुरानी याचिकाएं)।

14. दीवानी सर्विस रिट याचिकाएं [05 वर्ष से अधिक पुरानी याचिकाएं (पदोन्नति एवं वरिष्ठता संबंधित विवादों को छोड़कर)]।
15. दीवानी सर्विस रिट याचिकाएं (केवल ट्रांसफर, पेंशन, सेवानिवृत्ति परिलाभ, वसूली, अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित)।
16. दीवानी प्रथम अपील (05 वर्ष से अधिक पुरानी अपीलों)।
17. राजस्व विवाद से संबंधित समस्त प्रकरण।

नोट:— 1. केवल उपरोक्त प्रकृति के लम्बित प्रकरण ही राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जावेंगे।

1. पक्षकार के आवेदन पर राजीनामा की संभावना वाले 05 वर्ष तक की अवधि के समस्त लम्बित प्रकरण भी लोक अदालत में रखे जा सकेंगे।
2. राजस्थान सरकार एवं नागरिक के मध्य लम्बित मामलों में राजस्थान लिटिगेशन पॉलिसी, 2018 के तहत निराकरण के हर संभव प्रयास किये जावेंगे।

● जिला न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/आयोगों/मंचों/अथॉरिटी/प्राधिकारियों में:—

1. किसी नागरिक एवं सरकार या उसके किसी विभाग/उपक्रम के मध्य लम्बित सभी प्रकार के प्रकरण (राजस्थान लिटिगेशन पॉलिसी, 2018 के तहत निराकरण के प्रयास)।
2. राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण।
3. धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (NI Act) के प्रकरण।
4. धन वसूली के सभी प्रकार के प्रकरण (दीवानी वाद/इजराय/आर्बिट्रेशन अवार्ड की इजराय/Agriculture Debt Relief Act के मामलों/Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESI Act, 2002) के तहत वसूली के हर प्रकार के मामलों सहित)।
5. सभी प्रकार के अन्य सिविल मामले (किरायेदारी, बंटवारा, हिसाब फहमी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, घोषणा, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट अनुपालना के दावों) सहित।
6. एम.ए.सी.टी. के प्रकरण।
7. घातक दुर्घटना अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
8. श्रम एवं नियोजन संबंधी प्रकरण।
9. कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण।
10. बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण।
11. पारिवारिक विवाद के प्रकरण।
12. वैवाहिक विवाद के प्रकरण (तलाक को छोड़कर)।
13. भरण-पोषण सम्बन्धित प्रकरण।
14. भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से संबंधित प्रकरण।
15. सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स (पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा)।
16. वाणिज्यिक विवाद से संबंधित प्रकरण।
17. बैंक के विवाद (ऋण वसूली से संबंधित Debt Recovery Tribunal, Jaipur में लम्बित प्रकरणों सहित)।
18. गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के विवाद से संबंधित प्रकरण।
19. सहकारिता सम्बन्धी विवाद से संबंधित प्रकरण।
20. परिवहन सम्बन्धी विवाद से संबंधित प्रकरण।
21. स्थानीय निकाय (विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आदि) के विवाद से संबंधित प्रकरण।

22. रियल एस्टेट सम्बन्धी विवाद से संबंधित प्रकरण।
23. रेलवे क्लेमस सम्बन्धी विवाद से संबंधित प्रकरण।
24. कर सम्बन्धी विवाद से संबंधित प्रकरण।
25. जन उपयोगी सेवाओं संबंधी विवाद से संबंधित प्रकरण।
26. उपभोक्ता एवं विक्रेता/सेवा प्रदाता के मध्य के विवाद से संबंधित प्रकरण।
27. अन्य राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य न्यायाधिकरणों/आयोगों/मंचों/अथॉरिटी/प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं।

नोट:- उपरोक्त प्रकरणों में मूल प्रकरणों के साथ-साथ अपील/निगरानी (Revision)/पुनरावलोकन याचिकाएं (Review Petitions) भी सम्मिलित होंगी।

● **राजस्व न्यायालयों में :-**

सभी प्रकार के राजस्व मामले [सीमाज्ञान (पैमाइश)/पत्थरगढ़ी/नामान्तरण/राजस्व अभिलेख में सुधार/डिवीजन ऑफ होल्डिंग/निषेधाज्ञा/घोषणा/रास्ते के विवाद से संबंधित प्रकरण एवं धारा 107-151 द.प्र.सं. के मामलों सहित]।

B. लंबित प्रकरण, निम्न प्रकार से चिन्हित किए जा सकते हैं (Pending cases, may be identified in following manner):-

1. ऐसे प्रकरण, जिनके बारे में स्वयं न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी का यह मत हो कि पक्षकारों में राजीनामा होने की संभावना है।
2. ऐसे प्रकरण, जिनके बारे में कोई भी एक पक्षकार आवेदन करें।
3. ऐसे प्रकरण, जिनके बारे में दोनों पक्षकारों/अधिवक्तागण ने आवेदन किया हो।

C. लंबित प्रकरणों के चिन्हीकरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया (Process of identification of pending matters):-

1. पक्षकार/अधिवक्ता संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति में प्रार्थना पत्र पेश करके ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
2. पक्षकार/अधिवक्ता संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के ईमेल, व्हाट्सएप या मोबाईल नम्बर पर कॉल करके अथवा रालसा की वेबसाईट www.rlsa.gov.in के जरिए या सीधे ही **RLSA-22** प्लेटफार्म <https://rlsa.jupitice.com/> के माध्यम से ऑनलाईन भी आवेदन कर सकते हैं।
3. लंबित प्रकरणों के लिए न्यायालय में उपयोग में लाए जा रहे **CIS** में दर्ज प्रकरणों को संबंधित न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति के कार्मिक द्वारा **RLSA-22** प्लेटफार्म पर चिन्हित कर रैफर किया जा सकेगा।
4. कोई पक्षकार/अधिवक्ता अपने प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किये जाने हेतु रालसा की मोबाईल एप 'न्याय-रो-सारथी' को रालसा की वेबसाईट www.rlsa.gov.in से इंस्टॉल करके उस पर भी रिक्वेस्ट डाल सकता है।

(नोट:- प्रत्येक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति इंटरनेट ब्राउजर पर अपना यूजर नेम व पासवर्ड डालकर रालसा की मोबाईल एप 'न्याय-रो-सारथी' के डैश बोर्ड को एक्सेस कर उक्त एप पर प्राप्त होने वाली रिक्वेस्ट को प्रतिदिन कार्यालय छोड़ने से पूर्व संबंधित न्यायालय को फॉरवर्ड किया जाना सुनिश्चित करेंगे)

D. लंबित प्रकरणों के संबंध में दोनों पक्षकारों को ऑनलाइन सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना (Providing opportunity of hearing to both the parties through Online Process):-

1. ऐसे प्रकरण, जिन्हें संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी द्वारा स्वतः चिन्हित किया गया हो, उन सभी प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किए जाने के संबंध में दोनों पक्षकारों/उनके अधिवक्तागण को सुनवाई का अवसर संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी द्वारा ई-मेल, व्हाट्सएप या मोबाईल पर कॉल करके अथवा **RLSA-22** प्लेटफॉर्म के जरिए प्रदान किया जा सकेगा।
2. ऐसे प्रकरण, जिनमें बैंक/बीमा कम्पनी या एक पक्ष द्वारा आवेदन किया गया हो, उन सभी प्रकरणों में विरोधी पक्षकार को सुनवाई का अवसर संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी के द्वारा ईमेल, व्हाट्सएप या मोबाईल पर कॉल करके अथवा **RLSA-22** प्लेटफॉर्म के जरिए प्रदान किया जा सकेगा।

E. प्री-लिटिगेशन श्रेणी के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्रों में विरोधी पक्षकार को ऑनलाइन सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना (Providing opportunity of hearing to the opposite party through Online Process in the category of applications for Pre-Litigation):-

प्री-लिटिगेशन श्रेणी के सभी प्रकरणों में विरोधी पक्षकार को सुनवाई का अवसर संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रदान किये जाने के साथ-साथ ईमेल, व्हाट्सएप या मोबाईल पर कॉल करके अथवा **RLSA-22** प्लेटफॉर्म के जरिए भी प्रदान किया जा सकेगा।

F. चिन्हित प्रकरणों की सूचना (Forwarding information regarding identified matters):-

समस्त चिन्हित प्रकरणों की सूचना संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी द्वारा संबंधित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दो चरणों में क्रमशः दिनांक 20.10.2022 एवं 04.11.2022 को सम्प्रेषित की जाएगी और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रालसा को आगामी दिवस पर प्रेषित की जाएगी।

G. लंबित मामलों के चिन्हीकरण बाबत अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश (Other necessary guidelines about identification of pending matters):-

1. समस्त न्यायालयों द्वारा दिनांक 10.10.2022 से प्रतिदिन सुनवाई के लिए नियत सिविल प्रकृति के मूल वाद/अपील/इजराय को लोक अदालत में रैफर करने हेतु चिन्हित करते समय, विशेष ध्यान रखते हुए बंटवारे के वाद/अपील/इजराय, धन वसूली के वाद/अपील/इजराय, मध्यस्थता अवॉर्ड की इजराय, विनिर्दिष्ट अनुपालना के वाद/अपील/इजराय, स्थायी निषेधाज्ञा के वाद/अपील/इजराय, किरायेदार-मकान मालिक के मध्य उद्भूत वाद/अपील/इजराय एवं पारिवारिक विवाद से संबंधित वाद/अपील/इजराय को विशेष रूप से सम्मिलित किया जाकर, उपरोक्त प्रकृति के प्रकरणों में सुविधानुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से, परिस्थिति अनुसार, अपने स्तर पर प्री-काउंसलिंग आवश्यक रूप से की जाएगी।
2. इसी प्रकार से समस्त राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण (धारा 498ए/406 भादस से संबंधित प्रकरणों, धारा 125/125(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रकरणों एवं घरेलू

हिंसा से संबंधित प्रकरणों सहित) आवश्यक रूप से लोक अदालत में रैफर किए जाने हेतु चिन्हित किए जाकर, उपरोक्त प्रकरणों में सुविधानुसार ऑनलाईन या ऑफलाईन माध्यम से, परिस्थिति अनुसार, संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर प्री-काउंसलिंग आवश्यक रूप से की जाएगी।

3. धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित मूल फौजदारी प्रकरण, अपीलें एवं निगरानी याचिकाएं, जिनमें चैक राशि रूपये 10.00 लाख तक की है, को भी आवश्यक रूप से, सुविधानुसार ऑनलाईन या ऑफलाईन माध्यम से, परिस्थिति अनुसार, संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर प्रभावी प्री-काउंसलिंग करवाते हुए लोक अदालत हेतु रैफर किया जाएगा एवं रूपये 2.00 लाख तक की चैक राशि के मामलों को राजीनामे/सुलहवार्ता के माध्यम से निस्तारित किए जाने के विशेष प्रयास किए जाएंगे।
4. संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति/संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें कि अनुसंधान के स्तर पर ही राजीनामा हो चुका है एवं राजीनामा के आधार पर ही अंतिम प्रतिवेदन आना है, उनको संबंधित अनुसंधान अधिकारी द्वारा अविलम्ब न्यायालय में पेश कर दिया जावे। विशेष रूप से विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज फौजदारी प्रकरणों में यदि अभियुक्त द्वारा शमन राशि (Compounding Amount) जमा करा दी गई हो तो उनमें भी संबंधित अनुसंधान अधिकारी द्वारा अविलम्ब अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश कर दिया जावे। यदि ऐसे मामलों में आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका हो तो उनमें भी अभियुक्त को शमन राशि (Compounding Amount) जमा कराने हेतु प्रेरित करते हुए शमन राशि (Compounding Amount) जमा करा देने पर शमन (Compound) कराया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावे।
5. संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति/संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अपराध अंतर्गत धारा 379 आईपीसी सपठित धारा 4/21 एमएमडीआर एक्ट से संबंधित ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी क्रिमीनल मिसलेनियस (पिटिशन) संख्या 1161/2020 जितेन्द्र मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरणों में दिनांक 01.12.2021 को पारित किए गए निर्णय में दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना कर दी गई है, के शमन (Compound) के संबंध में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करते हुए प्रकरण दाखिल दफ्तर कर दिया जावे।
6. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि धारा 107/116/151 दण्ड प्रक्रिया संहिता संबंधी मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त मीठया व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, 1987(1) डब्ल्यू.एल.एन. 343 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों की कठोरतापूर्वक पालना की जावे तथा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में अभिनिर्धारित की गई विधिक स्थिति के प्रकाश में विपक्षी को नोटिस जारी करने की दिनांक के उपरान्त यदि 06 माह की अवधि व्यतीत हो गई हो तो ऐसे मामलों में कार्यवाही समाप्त की जाकर प्रकरण को दाखिल दफ्तर किया जावे।
7. समस्त राजस्व न्यायालय/राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रकार के निषेधाज्ञा, घोषणा, सीमाज्ञान (पैमाइश), पत्थरगढ़ी, नामान्तरण, राजस्व अभिलेख में सुधार, पैमाइश, डिविजन ऑफ हॉल्डिंग एवं रास्ते के विवाद से संबंधित सभी राजस्व मामलों में सुविधानुसार ऑनलाईन या ऑफलाईन माध्यम से, परिस्थिति अनुसार, अपने स्तर पर प्रभावी प्री-काउंसलिंग करने के उपरान्त राजीनामा की संभावना वाले प्रत्येक मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किया जावे।

8. समस्त सिविल न्यायालय/राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पैरा संख्या 5A(II) में वर्णित प्रकृति के लम्बित प्रत्येक मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किया जा रहा है तथा जिन मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर नहीं किया जा रहा है उन मामलों की पत्रावली में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 एवं आदेश 10 नियम 1A, 1B & 1C में विहित प्रावधान तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **M/s Afcons Infrastructure Ltd. & Anr. Vs. Cherian Varkey Construction Co. (P) Ltd. & Ors. 2010 (8) SCC 24** में अभिनिर्धारित की गई विधिक स्थिति के अनुसार ऐसे मामलों को 'वैकल्पिक विवाद निस्तारण व्यवस्था' के तहत रैफर नहीं किए जाने के संक्षिप्त कारण (Brief reasons) अभिलिखित कर दिये गये हैं।

नोट:- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में लाते हुए दिनांक 04.11.2022 तक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त निर्देशों की कठोरतापूर्वक पालना की गई है तथा संबंधित कोई भी प्रकरण प्री-काउंसलिंग एवं राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किये जाने से नहीं छूटा है।

H. न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी द्वारा वाद सूची तैयार करना एवं प्री-काउंसलिंग की तैयारी (Preparation of Cause List by Courts/Tribunals/Forum/Board/Commission/Authority and preparations for Pre-Counselling) :-

1. रैफर किए जाने वाले राजीनामा योग्य चिन्हित किए गए लंबित प्रकरणों के संबंध में अधिकृत स्टाफ द्वारा प्रतिदिन न्यूनतम 25 प्रकरण (जहाँ 25 से अधिक प्रकरण लम्बित हो) की कॉज लिस्ट सुलह वार्ता (Pre-Counselling) कराने हेतु तैयार की जाएगी। यदि किसी न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी में 25 या उससे कम प्रकरण लम्बित हों, वहाँ सुलह वार्ता (Pre-Counselling) के लिए तैयार की जाने वाली कॉज लिस्ट में प्रकरणों की संख्या सुविधानुसार संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जा सकेगी।
2. राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रैफर किए जाने वाले सभी लम्बित प्रकरणों को **RLSA-22** प्लेटफॉर्म पर दर्ज/अपलोड किया जावेगा। इस प्लेटफॉर्म पर प्री-काउंसलिंग हेतु नियमित रूप से कॉज-लिस्ट जनरेट होने का फीचर भी उपलब्ध है। अतः कॉज-लिस्ट तैयार किए जाने हेतु भी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जावेगा।
3. यह कॉज लिस्ट नियमित कॉज लिस्ट के अलावा पृथक से तैयार की जावेगी।
4. यह कॉज लिस्ट प्री-काउंसलिंग कराये जाने की तारीख से एक दिन पूर्व तैयार की जाकर पीठासीन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी।
5. पक्षकार/अधिवक्तागण को प्री-काउंसलिंग की दिनांक व समय की सूचना यथा समय ई-मेल/व्हाट्सएप, मोबाईल पर सम्पर्क करके अथवा **RLSA-22** के माध्यम से दी जावेगी। यदि उक्तानुसार सूचना दिया जाना संभव नहीं हो तो भौतिक रूप से नोटिस प्रेषित कर सूचना दी जावेगी।
6. सुविधा अनुसार Pre-Counselling के लिए प्रकरण इस प्रकार विचार में लिया जाना उचित रहेगा, जिससे संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी का नियमित कार्य बाधित ना हो।

I. लंबित मामलों में ऑनलाईन/ऑफलाईन सुलह वार्ता की प्रक्रिया (Online/Offline process of Pre-Counselling in pending matters):-

1. सभी न्यायालयों में दिनांक 10.10.2022 से सभी समझौता योग्य सिविल, फौजदारी एवं राजस्व मामलों, जिनमें समझौते के लेशमात्र भी तत्व मौजूद हो एवं उभय पक्षकार उपस्थित हों तो सम्बन्धित न्यायालय द्वारा आवश्यक रूप से

प्री-काउंसलिंग करवाई जावेगी। यदि पक्षकार उपस्थित नहीं हो तो ऑनलाईन प्री-काउंसलिंग करवाई जावेगी। यदि उभय पक्ष की अनुपस्थिति के कारण या अन्य किसी कारण से प्री-काउंसलिंग कराया जाना संभव ना हो या सुलह वार्ता में पक्षकारान् के मध्य समझौता नहीं होता है तो वह मामला प्री-काउंसलिंग के लिए संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति को उसी दिन रैफर किया जावेगा। यदि उभय पक्षकार उस दिन उपस्थित हों तो संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा उन्हें प्री-काउंसलिंग के लिए आगामी तिथि के बारे में व्यक्तिशः सूचित करते हुए, अन्यथा उभय पक्ष को ई-माध्यम (**RLSA-22 प्लेटफॉर्म सहित**) या जरिए नोटिस सूचित करते हुए ऐसे प्रत्येक मामले में यथाशीघ्र परिस्थिति अनुसार, ऑफलाईन या ऑनलाईन माध्यम से आवश्यक रूप से प्री-काउंसलिंग करवाई जावेगी।

2. ऑफलाईन प्री-काउंसलिंग (Offline Pre-Counselling) की दशा में पक्षकार/अधिवक्तागण संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित रहेंगे।
3. पीठासीन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी ऑनलाईन सुलह वार्ता के लिए All-in-One Computer/Laptop/I-Pad/Smartphone/**RLSA-22** प्लेटफॉर्म, आदि का उपयोग कर सकेंगे।
4. **RLSA-22** प्लेटफॉर्म से भिन्न किसी अन्य ई-माध्यम से ऑनलाईन प्री-काउंसलिंग करवाए जाने की स्थिति में पक्षकारों के मध्य समझौता होने पर पीठासीन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, की ओर से नियुक्त काउंसलर के द्वारा तदनुसार राजीनामा टाईप कराया जाकर उक्त राजीनामा PDF Form में अथवा Scanned Copy, पक्षकारों या/एवं अधिवक्तागण को ई-मेल या Whatsapp द्वारा भिजवाया जावेगा। उभय पक्षकारान उक्त प्रति का प्रिन्ट निकलवाकर अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात् पुनः संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, को जरिये ई-मेल या Whatsapp भिजवायेंगे।
5. ऑनलाईन प्री-काउंसलिंग के दौरान स्वयं के स्तर पर राजीनामा टाईप कराने हेतु सहमत होने की स्थिति में उभयपक्ष द्वारा भी राजीनामा टाईप एवं परस्पर हस्ताक्षरित कर संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, को जरिए ई-मेल/व्हाट्सएप भिजवा सकेंगे।
6. ऑनलाईन प्री-काउंसलिंग की स्थिति में पक्षकारान् अथवा उनके अधिवक्तागण को हस्ताक्षरित मूल राजीनामा (बिन्दु संख्या 4 व 5 में वर्णित) आवश्यक रूप से लोक अदालत की दिनांक 12.11.2022 से पूर्व सम्बन्धित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, को प्रेषित करना होगा। संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा उभय पक्ष/अधिवक्तागण की ओर से भेजे गये राजीनामा के सम्बन्ध में पक्षकारों/अधिवक्तागण से ऑनलाईन वार्ता करके राजीनामा हो जाने के तथ्य की पुष्टि करने के पश्चात् पत्रावली मय राजीनामा राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच के समक्ष सूचीबद्ध की जायेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच द्वारा ऐसा राजीनामा ऑनलाईन या ऑफलाईन, जैसा भी संभव हो, तस्दीक किया जाकर संबंधित प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा।

7. ऑनलाइन प्री-काउंसलिंग के दौरान यदि पक्षकार व उनके अधिवक्तागण संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, को यह निवेदन करते हैं कि वे अपनी सुविधानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत की दिनांक 12.11.2022 से पूर्व किसी भी दिन न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष उपस्थित होकर ही राजीनामा पर भौतिक रूप से हस्ताक्षर करेंगे, तो संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, पक्षकारों के उपस्थित आने पर ऑनलाइन प्री-काउंसलिंग के दौरान तय शर्तों के अनुरूप राजीनामा पर पक्षकारों के हस्ताक्षर करायेंगे और तत्पश्चात् पत्रावली मय राजीनामा राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष सूचीबद्ध की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत की बेंच द्वारा ऐसा राजीनामा ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसा भी संभव हो, तस्दीक किया जाकर संबंधित प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा।
8. ऑफलाइन प्री-काउंसलिंग के समय पक्षकारों के मध्य समझौता होने की स्थिति में संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, के पीठासीन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी/काउंसलर द्वारा उसी समय राजीनामा टाईप कराया जाकर पत्रावली मय राजीनामा राष्ट्रीय लोक अदालत की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत की बेंच द्वारा ऐसा राजीनामा ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसा भी संभव हो, तस्दीक किया जाकर संबंधित प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा।
9. जहां तक संभव हो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही प्रकार की प्री-काउंसलिंग संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, के कक्ष में करवाई जावेगी। यदि ऐसा करवा पाना संभव नहीं हो तो संबंधित पीठासीन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अधिकृत अन्य किसी उचित स्थान पर करवाई जा सकेगी।
10. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान रियल एस्टेट अपीलेंट ट्रिब्यूनल (REAT), राजस्व मंडल अजमेर, राजस्थान कर बोर्ड अजमेर, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण एवं अन्य ऐसे न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी, जिनमें एक से अधिक बेंच के गठन का प्रावधान है, में भी राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किए जाने के लिए चिन्हित किए गए प्रत्येक राजीनामा योग्य प्रकरण में उपरोक्त प्रक्रियानुसार ही दिनांक 10.10.2022 से प्री-काउंसलिंग आवश्यक रूप से करवाई जावेगी।
11. **RLSA-22** प्लेटफॉर्म के राष्ट्रीय लोक अदालत में उपयोग के सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया संलग्न परिशिष्ट-01 पर सचित्र वर्णित है।

J. प्री-लिटिगेशन मामलों में ऑनलाइन/ऑफलाइन सुलह वार्ता (Online/Offline Pre-Counselling in Pre-Litigation Matters) :-

1. प्री-लिटिगेशन मामलों में बैंक/विभाग/पक्षकार द्वारा प्री-लिटिगेशन का प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में यथास्थिति (as the case may be), सचिव-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या अध्यक्ष-तालुका विधिक सेवा समिति के समक्ष ऑनलाइन

(RLSA-22 प्लेटफॉर्म के जरिए)/ऑफलाईन पेश किया जा सकेगा, जिनके द्वारा (राजस्व विवाद, उपभोक्ता-विक्रेता संबंधी विवाद एवं ऐसे राजीनामा योग्य अन्य प्रकरण/विवाद, जो अन्य अधिकरणों/आयोगों/बोर्ड/मंचों/अथॉरिटी/प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं, को छोड़कर) ऐसे प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में विरोधी पक्षकार को नोटिस जारी कर प्री-काउंसलिंग करवाई जाकर प्रकरण का निस्तारण करवाया जाएगा। इसके लिए ऊपर बिन्दू (II) में वर्णित प्रक्रिया ही आवश्यक उपान्तरों के साथ (Mutatis Mutandis) लागू होगी।

2. राजस्व विवाद, उपभोक्ता-विक्रेता संबंधी विवाद एवं ऐसे राजीनामा योग्य अन्य प्रकरण/विवाद, जो अन्य अधिकरणों/आयोगों/बोर्ड/मंचों/अथॉरिटी/प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं, के प्री-लिटिगेशन मामलों में किसी पक्षकार की ओर से प्री-लिटिगेशन का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, यथास्थिति (as the case may be), सचिव-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो (as the case may be), द्वारा उसे अपने यहां विधिवत् दर्ज रजिस्टर, आदि की कार्यवाही करने के उपरान्त, ऐसे प्रार्थना-पत्र को संबंधित राजस्व न्यायालय/अधिकरण/आयोग/मंच/अथॉरिटी/प्राधिकारी को प्री-काउंसलिंग के लिए प्रेषित किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में प्री-काउंसलिंग की कार्यवाही उनके द्वारा ही अमल में लाई जाएगी। इसके लिए भी ऊपर बिन्दू (II) में वर्णित प्रक्रिया ही आवश्यक उपान्तरों के साथ (Mutatis Mutandis) लागू होगी। प्री-काउंसलिंग की कार्यवाही अमल में लाए जाने के उपरान्त उनके द्वारा राजीनामे/प्री-काउंसलिंग के नतीजे के साथ ऐसे मामले यथास्थिति (as the case may be), सचिव-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या अध्यक्ष-तालुका विधिक सेवा समिति को वापस लौटाए जाएंगे, जिनके द्वारा तदनुसार ऐसे मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

नोट:- प्री-काउंसलिंग के लिए काउंसलर की सेवाएं, यदि आवश्यकता हो तो, सम्बन्धित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति से प्राप्त की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण:- उपरोक्त बिन्दु संख्या 02 पर वर्णित प्री-लिटिगेशन मामलों में प्री-काउंसलिंग की कार्यवाही सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा अमल में लाया जाना आवश्यक नहीं होगा।

3. प्री-लिटिगेशन मामलों में प्रार्थना-पत्र पेश किए जाने की अंतिम तिथि 05.11.2022 होगी।
4. प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को RLSA-22 प्लेटफॉर्म पर ऑनलाईन माध्यम से अधिवक्ता, संस्था अथवा पक्षकार द्वारा <https://rslsa.jupitice.com/> पर अपना अकाउंट बनाकर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। RLSA-22 प्लेटफॉर्म पर ऐसे रजिस्टर किए गए प्री-लिटिगेशन प्रकरण संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, को दर्शित होंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा उक्त प्लेटफॉर्म के जरिए प्री-काउंसलिंग के Notice Messages को Digital माध्यम से पक्षकार को प्रेषित किए जाएंगे। ऐसे मामलों में प्री-काउंसलिंग की कार्यवाही ऊपर बिन्दू (II) के उपबिन्दु (11) में वर्णित प्रक्रिया ही आवश्यक उपान्तरों के साथ (Mutatis Mutandis) लागू होगी।

K. राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु डोर-स्टेप काउंसलिंग (Door-step counselling for National Lok Adalat) :-

1. राजीनामा योग्य दीवानी, राजस्व, फौजदारी मामलों एवं धारा 138 एन.आई. एक्ट के निजी पक्षकारों के मध्य लंबित मामलों तथा सभी प्रकार के प्री-लिटिगेशन मामलों (बैंक एवं वित्तीय संस्थान के मामलों के अलावा) में डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्प निम्न प्रकार आवश्यक रूप से आयोजित किये जावेंगे:-

- प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर दिनांक 16.10.2022 एवं 06.11.2022 को (संबंधित पंचायत सेवा समिति के क्षेत्राधिकार में स्थित न्यायालयों में लम्बित एवं उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के लिए)
- प्रत्येक पंचायत मुख्यालय, जो तहसील या उप-तहसील मुख्यालय भी है, पर दिनांक 30.10.2022 एवं 08.11.2022 को (संबंधित पंचायत मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में लम्बित एवं उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के लिए)

नोट:-

1. उक्तानुसार आयोजित किये जाने वाले डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्प में किसी नागरिक एवं सरकार या उसके किसी विभाग/उपक्रम के मध्य लम्बित एवं प्री-लिटिगेशन श्रेणी के सभी प्रकार के प्रकरण/विवाद भी सम्मिलित किये जावेंगे तथा सभी संबंधित विभागों/उपक्रमों के सक्षम/अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी कैम्प में उपस्थित रहेंगे।
 2. उक्तानुसार आयोजित किये जाने वाले डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्प की अध्यक्षता संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष या आवश्यकतानुसार स्थानीय राजस्व अधिकारी द्वारा प्रो-बोनो या आवश्यकता होने पर कुशल पैनल अधिवक्ता/प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ता द्वारा की जावेगी।
 3. संबंधित डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्प में सदस्य के रूप में स्थानीय निर्वाचित जन-प्रतिनिधिगण/सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी-कर्मचारी/प्रतिष्ठित व्यक्ति/सामाजिक कार्यकर्ता (आवश्यकतानुसार) प्रो-बोनो भाग लेंगे।
 4. संबंधित डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्प में क्षेत्राधिकार वाले नगर निगम मजिस्ट्रेट/मोबाईल मजिस्ट्रेट/ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी प्रो-बोनो भाग लेंगे।
 5. किसी डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्प में एक पीएलवी को समन्वय के लिए (केवल न्यूनतम 50 प्रकरण चिन्हित होने पर ही) उपस्थित रखा जा सकेगा।
 6. उपयुक्त आयोजन स्थल का चयन संबंधित तालुका अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा।
 7. उक्तानुसार डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्प आयोजित किये जाते समय एक मेगा विधिक जागरूकता/चेतना शिविर भी (पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के तहत) आवश्यक रूप से आयोजित किया जावेगा।
2. उक्तानुसार डोर स्टेप काउंसलिंग के लिए सिविल एवं राजस्व मामले, विशेषतया, यथा; चल एवं अचल संपत्ति के बटवारे के प्रकरण/विवाद (जिनमें डिवीजन ऑफ रेवेन्यू होल्डिंग के मामले भी सम्मिलित हैं), स्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण/विवाद, सुखाधिकार संबंधी प्रकरण/विवाद, रास्ते संबंधी प्रकरण/विवाद, राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि से संबंधित प्रकरण/विवाद, किरायेदार एवं मकान मालिक के मध्य प्रकरण/विवाद, धन वसूली के निजी पक्षकारों के मध्य प्रकरण/विवाद, किसी नागरिक एवं सरकार या उसके किसी विभाग/उपक्रम के मध्य सभी प्रकार के प्रकरण/विवाद **(राजस्थान लिटिगेशन पॉलिसी, 2018 के तहत निराकरण हेतु)** का चयन किया जा सकेगा। इसके साथ ही राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण एवं धारा 138 एनआई एक्ट के राशि **रूपये 10.00 लाख** तक की चैक राशि के निजी पक्षकारों के मध्य विद्यमान विवादों/लम्बित प्रकरणों का चयन किया जा सकेगा।
3. डोर-स्टेप काउंसलिंग के कैम्प में रखे जाने वाले प्रकरणों की एक सूची **07 दिवस पूर्व** तैयार कर सभी संबंधित पक्षकारों एवं हितधारकों को इसकी सूचना (Notice) ऑनलाईन या ऑफलाईन माध्यम, यथास्थिति; नजारत शाखा/राजस्व कर्मचारीगण/पीएलवी/पंचायत समिति/पंचायत के कर्मचारीगण/पुलिस की सहायता से की जा सकेगी।

4. डोर-स्टेप काउंसलिंग हेतु रखे जाने वाले लम्बित दीवानी/राजस्व मामलों के लिए संबंधित प्रकरणों की पत्रावलियां या दावा/जबावदावा की प्रति एवं फौजदारी प्रकरणों के लिए सम्बन्धित प्रकरणों की पत्रावलियां या प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आरोप पत्र/परिवाद की प्रति संबंधित न्यायालय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति को ऐसे मामलों को चिन्हित किए जाते समय ही उपलब्ध करायी जावेगी।
5. राजकीय विभागों/उपक्रमों के मुख्यालय पर एवं शासन सचिवालय में आयोजित किये जाने वाले डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्पों में समझौता/सुलह वार्ता के लिए विभागीय पत्रावली का उपयोग किया जावेगा।
6. तालुका विधिक सेवा समिति मुख्यालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय पर आयोजित किये जाने वाले डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्प में भाग लेने वाले केवल पक्षकारों/हितधारकों के लिए जलपान एवं काउंसलर हेतु लंच की व्यवस्था संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा स्थानीय क्षेत्र के भामाशाह/स्थानीय चैरिटेबल ट्रस्ट/सामाजिक संस्थान/पंचायत समिति/पंचायत/स्थानीय प्रशासन के सहयोग से की जावेगी।
7. डोर-स्टेप काउंसलिंग को प्रभावी बनाने एवं कैम्प में सम्मिलित होने वाले सदस्यगण/काउंसलर्स के उत्साहवर्धन के लिए प्रत्येक सदस्य/काउंसलर को 1 से 50 प्रकरणों का निस्तारण किया जाने पर सहभागिता प्रमाण-पत्र, 51 से 100 प्रकरणों का निस्तारण किए जाने पर जिला/संभाग स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित कर सराहनीय कार्य प्रमाण-पत्र एवं 100 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किए जाने पर उत्कृष्ट प्रतिभागी का प्रमाण पत्र राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित कर प्रदान किया जाएगा।
8. डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्पों में आमजन की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति निम्नलिखित कैम्प भी डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्प के साथ आयोजित करेंगे:-
 1. मुफ्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जांच कैम्प
 2. ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा का आयोजन
 3. प्रशासन-गांवों के संग अभियान की तर्ज पर दैनिक समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासनिक कैम्प, जिसमें राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आदि बनवाने एवं अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान करने की कार्यवाही सम्पन्न हो सके।
 4. श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एवं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का मौके पर लाभ प्रदान करने के लिए कैम्प का आयोजन
 5. कृषि विभाग द्वारा फसल बीमा योजना के प्रमोशन के लिए कैम्प का आयोजन
 6. प्रत्येक बैंकिंग/वित्तीय संस्थान द्वारा अपनी ऋण वितरण योजना, एकमुश्त समझौता योजना (**One Time Settlement Scheme**), बैंक खाते खोलने संबंधी योजना एवं अन्य योजनाओं के प्रमोशन के लिए तथा बकाया राशि की वसूली कार्यवाही अमल में लाये जाने या मुकदमा दायर किये जाने से पूर्व बकाया ऋण की वसूली के प्रयासों के तहत कैम्प का आयोजन [कैम्प के आयोजन में सहयोग के लिए **अखिल भारतीय बैंक अधिवक्ता विधि संगम ट्रस्ट/स्थानीय जनप्रतिनिधियों** की आवश्यकतानुसार प्रो-बोनो सेवाएं ली जा सकेंगी (**ट्रस्ट एवं उसके पदाधिकारीगण के बारे में जानकारी पृथक से प्रेषित की जा रही है**)] ऐसे डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्पों में संबंधित

बैंक/वित्तीय संस्थान की प्रभावी भागीदारी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया/नाबार्ड के रीजनल ऑफिस तथा SLBC/आयोजना विभाग/सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

L. राज्य सरकार या उसके किसी विभाग/उपक्रम से संबंधित लम्बित मामलों के लिए विशेष काउंसलिंग कैम्प (Special Counselling Camps for pending matters involving State Government or its any Department/ Undertaking):-

- किसी भी न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी के समक्ष लम्बित ऐसे मामलों, जिनमें राज्य सरकार या उसका कोई विभाग/उपक्रम पक्षकार है, उनके लिए संबंधित विभाग/उपक्रम के मुख्यालय पर दिनांक 21.10.2022 एवं 28.10.2022 को विशेष काउंसलिंग कैम्प आयोजित किये जावेंगे।
- किसी भी न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी के समक्ष लम्बित ऐसे मामलों, जिनमें राज्य सरकार या उसका कोई विभाग/उपक्रम पक्षकार है तथा जो शासन सचिवालय के स्तर पर ही निस्तारित हो सकते हैं, उनके लिए शासन सचिवालय में भी संबंधित विभाग द्वारा दिनांक 20.10.2022 एवं 04.11.2022 को विशेष काउंसलिंग कैम्प आयोजित किये जावेंगे।

M. बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के मामलों में प्री-काउंसलिंग की विशेष प्रक्रिया (Special Procedure for Pre-Counselling in matters pertaining to Banks and Financial Institutions):-

1. बैंकों एवं वित्तीय संस्थान के धन वसूली के लम्बित सिविल मामलों (सिविल वाद, इजराय, आर्बिट्रेशन अवार्ड की इजराय) एवं धारा 138 एन.आई. एक्ट के फौजदारी मामलों (केवल रूपये 10.00 लाख तक की राशि के मामले) के साथ-साथ इसी प्रकृति के प्री-लिटिगेशन श्रेणी के मामलों के लिए प्री-काउंसलिंग कैम्प दिनांक 17.10.2022 से 21.10.2022 एवं दिनांक 31.10.2022 से 05.11.2022 के मध्य सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो (as the case may be), द्वारा (संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान के सक्षम प्रतिनिधि से विचार-विमर्श के उपरांत) संबंधित न्यायालय परिसर में स्थित किसी कक्ष में या बाहर खुले में कैनोपी, आदि लगाकर या उस शहर/कस्बे में अन्य उपयुक्त स्थान पर आयोजित किये जावेंगे तथा समस्त जरूरी व्यवस्थाएं (जलपान सहित) संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जावेंगी।
2. उपरोक्तानुसार आयोजित किये जाने वाले प्री-काउंसलिंग कैम्प में संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान के सक्षम एवं अधिकृत कार्मिक न्यायालय विशेष में लम्बित या उस न्यायालय विशेष के क्षेत्राधिकार के प्री-लिटिगेशन के मामलों से संबंधित बैंक का समस्त रिकॉर्ड साथ लेकर उपस्थित रहेंगे।
नोट:- ऐसे प्री-काउंसलिंग कैम्प के लिए प्री-लिटिगेशन मामलों में विपक्षी पर नोटिस की तामील संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा ही अपने स्तर पर करवायी जावेगी, संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा नहीं करायी जावेगी। हालांकि संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा नोटिस की तामील के लिए आवश्यकतानुसार जरूरी सहयोग उपलब्ध कराया जा सकेगा।
3. उपरोक्त प्री-काउंसलिंग कैम्प के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा, जैसी भी स्थिति हो (as the case may be), समझौता/सुलह वार्ता में सहयोग के लिए अखिल भारतीय बैंक अधिवक्ता विधि संगम ट्रस्ट/स्थानीय जनप्रतिनिधियों की आवश्यकतानुसार प्रो-बोनो सेवाएं ली जा सकेंगी।

4. उपरोक्त प्री-काउंसलिंग कैम्प के लिए सूचीबद्ध किये जाने वाले प्रकरणों में संबंधित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान से प्रत्येक प्रकरण में One-Time Settlement Offer (अपनी पूर्व से प्रचलित एकमुश्त समझौता स्कीम के तहत) युक्तियुक्त समय पूर्व प्राप्त करेंगे और पक्षकारों को प्रेषित किये जाने वाले नोटिस में प्री-काउंसलिंग की दिनांक, समय एवं स्थान के साथ-साथ उक्त One-Time Settlement Offer की राशि भी आवश्यक रूप से अंकित की जावेगी।
5. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान के नोडल/अधिकृत अधिकारी को उनसे संबंधित प्रकरणों में की जाने वाली प्री-काउंसलिंग की तारीख, समय एवं ऐसी प्री-काउंसलिंग में सूचीबद्ध किये जाने वाले प्रकरणों की सूची युक्तियुक्त समय पूर्व उपलब्ध करवा दी गई है एवं संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा प्रत्येक प्रकरण में One-Time Settlement Offer की राशि की सूचना मय कैलकुलेशन शीट उपलब्ध कराई जा चुकी है। संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उनकी ओर से अधिकृत अधिकारी नियत समय पर जरूरी रिकॉर्ड के साथ प्री-काउंसलिंग हेतु कैम्प में उपस्थित रहेंगे।
6. उपरोक्त प्री-काउंसलिंग कैम्प में संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान की प्रभावी भागीदारी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया/नाबार्ड के रीजनल ऑफिस तथा SLBC/आयोजना विभाग/सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

N. राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता मंचों में लम्बित मामलों के अधिकाधिक निस्तारण हेतु अतिरिक्त दिशा निर्देश (Additional guidelines for maximum disposal of matters pending in Rajasthan State Consumer Dispute Redressal Commission and District Consumer Forums):-

जिला उपभोक्ता मंच, समस्त राजस्थान में दिनांक 31.07.2022 को लम्बित प्रकरणों की कुल संख्या 47,590 एवं राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लम्बित प्रकरणों की कुल संख्या 2,993 थी। गत राष्ट्रीय लोक अदालतों; यथा दिनांक 13.08.2022 / 14.05.2022 / 12.03.2022 में जिला उपभोक्ता मंचों एवं राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में निस्तारित प्रकरणों की कुल संख्या क्रमशः 341 एवं 01/400 एवं 02/529 एवं 05 रही है, जो कि लम्बित प्रकरणों की संख्या के अनुपात में नगण्य हैं। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा दिनांक 12.11.2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में उपभोक्ता मामलों को निस्तारित किये जाने के संबंध में अर्द्धशासकीय पत्र J-24/87/2022 Dated 09th September, 2022 जारी किया गया है। इसी क्रम में नालसा से भी एक ई-मेल दिनांक 01.10.2022 प्राप्त हुआ है। अतः गत राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला उपभोक्ता मंचों एवं राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के नगण्य प्रदर्शन को देखते हुए एवं भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी किये गये उपरोक्त अर्द्धशासकीय पत्र एवं नालसा द्वारा प्रेषित किए गए ई-मेल के दृष्टिगत सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान, जिला उपभोक्ता मंच, समस्त राजस्थान एवं राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर द्वारा उपभोक्ता मामलों के सुलह एवं समझाईश के माध्यम से निस्तारण के संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त दिशा-निर्देशों की पालना किया जाना अपेक्षित है:-

1. दिनांक 17.10.2022 से 21.10.2022 एवं दिनांक 31.10.2022 से 05.11.2022 के दौरान नियमित सुनवाई के उपरान्त (यथासंभव मध्याह्न पश्चात्) जिला उपभोक्ता मंच, समस्त राजस्थान एवं राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के परिसर में आवश्यकतानुसार प्री-काउंसलिंग कैम्प आयोजित किये जावेंगे।
2. राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में प्री-काउंसलिंग/राष्ट्रीय लोक अदालत बैचों का गठन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संबंधित अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता मंच के साथ तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर-द्वितीय रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के साथ साप्ताहिक बैठक आयोजित कर:-
 1. अधिकाधिक प्रकरणों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किये जाने हेतु प्रेरित करेंगे;
 2. रैफर किये गये प्रकरणों में प्री-काउंसलिंग आयोजित किये जाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे;
 3. रैफर किये गये प्रकरणों में समझाईश के लिए विशेषज्ञ व्यक्तियों की बतौर काउंसलर सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे;
 4. राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु प्रकरणों को रैफर किये जाने एवं प्री-काउंसलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए **RSLSA-22** प्लेटफार्म का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
 5. कोई कठिनाई महसूस होने पर ऐसा मामला तत्काल अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के संज्ञान में लाते हुए रालसा को प्रेषित किया जावेगा।

O. राजस्व मण्डल, अजमेर/राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर में लम्बित मामलों के अधिकाधिक निस्तारण हेतु अतिरिक्त दिशा निर्देश (Additional guidelines for maximum disposal of matters pending in Revenue Board, Ajmer and Rajasthan State Tax Board, Ajmer):-

दिनांक 31.07.2022 को राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित प्रकरणों की कुल संख्या **65,281** एवं राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर में लम्बित प्रकरणों की कुल संख्या **5,501** थी। गत राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.08.2022 में राजस्व मण्डल, अजमेर व राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर में निस्तारित प्रकरणों की कुल संख्या क्रमशः **12** एवं **44** रही है, जो कि लम्बित प्रकरणों की संख्या के अनुपात में नगण्य हैं। गत राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व मण्डल, अजमेर व राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के नगण्य प्रदर्शन को देखते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर को इन मामलों के सुलह एवं समझाईश के माध्यम से निस्तारण के संबंध में अतिरिक्त दिशा-निर्देश निम्नानुसार है:-

4. दिनांक 17.10.2022 से 21.10.2022 एवं दिनांक 31.10.2022 से 05.11.2022 के के दौरान नियमित सुनवाई के उपरान्त (यथासंभव मध्याह्न पश्चात्) राजस्व मण्डल, अजमेर एवं राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के परिसर में आवश्यकतानुसार प्री-काउंसलिंग कैम्प आयोजित किये जावेंगे।
5. आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में प्री-काउंसलिंग/राष्ट्रीय लोक अदालत बैचों का गठन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

6. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर एवं रजिस्ट्रार, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के साथ साप्ताहिक बैठक आयोजित कर:-

1. अधिकाधिक प्रकरणों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किये जाने हेतु प्रेरित करेंगे;
2. रैफर किये गये प्रकरणों में प्री-काउंसलिंग आयोजित किये जाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे;
3. रैफर किये गये प्रकरणों में समझाईश के लिए विशेषज्ञ व्यक्तियों की बतौर काउंसलर सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे;
4. राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु प्रकरणों को रैफर किये जाने एवं प्री-काउंसलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए **RSLSA-22** प्लेटफार्म का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. कोई कठिनाई महसूस होने पर ऐसा मामला तत्काल अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर एवं अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर/अध्यक्ष, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के संज्ञान में लाते हुए रालसा को प्रेषित किया जावेगा।

P. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/राजस्थान राज्य सूचना आयोग/राजस्थान राज्य सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण/रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल/अपीलीय अधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण/राजस्थान राज्य सहकारी अपीलीय अधिकरण/राजस्थान राज्य गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिकरण/राजस्थान वक्फ अधिकरण/राजस्थान राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण/ऋण वसूली अधिकरण/भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन अधिकरण/राजस्थान रीयल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल (REAT) जयपुर/राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेट्री अथॉरिटी (RERA), जयपुर/औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय/श्रम आयुक्त/उप-श्रम आयुक्त के न्यायालय में लम्बित मामलों के अधिकाधिक निस्तारण हेतु अतिरिक्त दिशा निर्देश (Additional guidelines for maximum disposal of matters pending in CAT/RSIC/RSCSAT/RCT/JDA Appellate Tribunal/RSCAT/RSNGEIT/RWT/RSTAT/DRT/LARRA/REAT/RERA/Industrial Tribunal/Labour Court/Labour Commissioner/Deputy Labour Commissioner):-

उपरोक्त अधिकरणों/आयोगों/न्यायालयों/प्राधिकारियों के न्यायालय में लम्बित कुल प्रकरणों की संख्या की तुलना में विगत राष्ट्रीय लोक अदालतों में निस्तारित हुए प्रकरणों की नगण्य संख्या को देखते हुए संबंधित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इनमें लम्बित प्रकरणों के सुलह एवं समझाईश के माध्यम से निस्तारण के संबंध में अतिरिक्त दिशा-निर्देश निम्नानुसार है:-

7. दिनांक 17.10.2022 से 21.10.2022 एवं दिनांक 31.10.2022 से 05.11.2022 के के दौरान नियमित सुनवाई के उपरान्त (यथासंभव मध्याह्न पश्चात्) संबंधित अधिकरण/आयोग/न्यायालय/प्राधिकारी के परिसर में आवश्यकतानुसार प्री-काउंसलिंग कैंम्प आयोजित किये जावेंगे।
8. आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में केवल प्री-काउंसलिंग बैचों का गठन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
9. संबंधित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संबंधित अधिकरण/आयोग के सक्षम अधिकारी, संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं संबंधित प्राधिकारी के साथ साप्ताहिक बैठक आयोजित कर:-

1. अधिकाधिक प्रकरणों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किये जाने हेतु प्रेरित करेंगे;
2. रैफर किये गये प्रकरणों में प्री-काउंसलिंग आयोजित किये जाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे;
3. रैफर किये गये प्रकरणों में समझाईश के लिए विशेषज्ञ व्यक्तियों की बतौर काउंसलर सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे;
4. राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु प्रकरणों को रैफर किये जाने एवं प्री-काउंसलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए **RLSA-22** प्लेटफार्म का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. कोई कठिनाई महसूस होने पर ऐसा मामला तत्काल अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अध्यक्ष, संबंधित अधिकरण/आयोग/न्यायालय/प्राधिकारी के संज्ञान में लाते हुए रालसा को प्रेषित किया जावेगा।

Q. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के श्रम/नियोजन संबंधी मामलों एवं मोटर दुर्घटना दावा संबंधी मामलों के अधिकाधिक निस्तारण हेतु विशेष प्रयास (Focused endeavour towards maximum disposal of matters pertaining to Labour/Employment and Motor Accidental Claims involving RSRTC):-

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के श्रम/नियोजन संबंधी एवं मोटर दुर्घटना दावा संबंधी श्रम न्यायालयों/औद्योगिक अधिकरणों/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों/श्रम आयुक्त, उप-श्रम आयुक्त एवं अन्य प्राधिकारियों के यहां लम्बित कुल प्रकरणों की संख्या की तुलना में विगत राष्ट्रीय लोक अदालतों में निस्तारित हुए प्रकरणों की नगण्य संख्या को देखते हुए मुख्य सचिव महोदया को ऐसे लम्बित प्रकरणों के सुलह एवं समझाईश के माध्यम से निस्तारण के संबंध में निम्न प्रकार अनुरोध है:-

10. अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को श्रम एवं नियोजन संबंधी लम्बित मामलों का आपसी समझौते/सुलह के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के क्रम में अपने निदेशक मंडल (Board of Directors) में आवश्यक नीतिगत निर्णय (Necessary Policy Decision) लिये जाने बाबत् विचार करने हेतु निर्देशित किया जावे।
11. अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को मोटर दुर्घटना दावा संबंधी लम्बित मामलों का आपसी समझौते/सुलह के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के क्रम में रालसा द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 15.04.2021 एवं समय-समय पर जारी किये वाले दिशा-निर्देशों की पालना किये जाने के क्रम में अपने निदेशक मंडल (Board of Directors) में आवश्यक नीतिगत निर्णय (Necessary Policy Decision) लिये जाने बाबत् विचार करने हेतु निर्देशित किया जावे।
12. अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को ऐसे मामलों की प्री-काउंसलिंग के दौरान संबंधित न्यायालय/अधिकरण/प्राधिकारी/राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच के समक्ष निगम की ओर से अधिकृत एवं सक्षम अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने बाबत् निर्देशित किया जावे।

R. राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु बैंच का गठन (Constitution of Lok Adalat Benches) :-

1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो (as the case may be), द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण हेतु बैंचों का गठन निम्नानुसार किया जावेगा:-

A. जिस स्थान पर केवल एक ही सिविल न्यायालय स्थित है, चाहे वहां पर तालुका विधिक सेवा समिति का गठन हुआ है या नहीं हुआ है, वहां पर क्षेत्राधिकार वाली तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से परामर्श के उपरान्त केवल एक ही राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच का गठन निम्न प्रकार किया जाएगा:-

न्यायिक अधिकारी-संबंधित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी/उस जिले में पदस्थापित अन्य कोई सेवारत अधिकारी

सदस्य-सेवारत/सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी (जिला कलक्टर के परामर्श से) या पैनल अधिवक्ता

B. तालुका स्तर पर, जहां पर एक से अधिक सिविल न्यायालय स्थित हैं, संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से परामर्श के उपरान्त आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत की अधिकतम 02 बैंचों का गठन निम्न प्रकार किया जाएगा:-

(i) **सभी प्रकार के दीवानी एवं फौजदारी मामलों के लिए**

अध्यक्ष-सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी

सदस्य-पैनल अधिवक्ता

(ii) **सभी प्रकार के राजस्व मामलों के लिए**

न्यायिक अधिकारी-सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी

सदस्य-सेवारत/सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी (जिला कलक्टर के परामर्श से) या पैनल अधिवक्ता

C. यदि किसी उपखण्ड/तहसील मुख्यालय पर सिविल न्यायालय स्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित उपखण्ड/तहसील मुख्यालय पर स्थित राजस्व न्यायालय के प्रकरणों के निस्तारण हेतु लोक अदालत की बैंच का गठन संबंधित राजस्व न्यायालय के परिसर में तब ही किया जा सकेगा जबकि न्यूनतम 25 प्रकरण उक्त राजस्व न्यायालय द्वारा चिन्हित किए गए हों। उक्त स्थिति में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किसी एक सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को उक्त बैंच में 'न्यायिक अधिकारी' के रूप में सम्मिलित किया जाएगा एवं उक्त बैंच का सदस्य संबंधित मुख्यालय पर स्थित राजस्व न्यायालय का कोई एक राजस्व अधिकारी (जिला कलक्टर के परामर्श से) रखा जावेगा। चिन्हित किए गए प्रकरणों की संख्या 25 से कम होने पर ऐसे प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत की निकटतम बैंच में (जिला कलक्टर के परामर्श से) रखे जा सकेंगे।

D. यदि किसी उपखण्ड/तहसील पर सिविल/फौजदारी न्यायालय स्थित है, लेकिन न्यायिक अधिकारी का पदस्थापन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उक्त तालुका पर स्थित सिविल, फौजदारी एवं राजस्व न्यायालय के प्रकरणों के निस्तारण हेतु लोक अदालत की बैंच का गठन संबंधित राजस्व न्यायालय के परिसर में किया जा सकेगा। उक्त स्थिति में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किसी एक सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को उक्त

बैंच में 'न्यायिक अधिकारी' के रूप में सम्मिलित किया जाएगा एवं उक्त बैंच का सदस्य संबंधित उप-खण्ड/तहसील मुख्यालय पर स्थित राजस्व न्यायालय का कोई एक राजस्व अधिकारी (जिला कलक्टर के परामर्श से) को रखा जावेगा।

E. जिला मुख्यालय पर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा (दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व न्यायालयों के लिए) राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंचों का आवश्यकतानुसार गठन निम्न प्रकार किया जाएगा—

(i) सभी प्रकार के दीवानी एवं फौजदारी मामलों के लिए
अध्यक्ष—सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी
सदस्य—पैनल अधिवक्ता

(ii) सभी प्रकार के राजस्व मामलों के लिए
न्यायिक अधिकारी—सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी
सदस्य—सेवारत/सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी (जिला कलक्टर के परामर्श से)

विशेष टिप्पणी:— जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा मुख्यालय पर (दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व न्यायालयों के लिए) गठित की जाने वाली बैंचों की अधिकतम संख्या निम्नानुसार होगी:—

क्र.सं.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	बैंचों की अधिकतम संख्या
1.	जयपुर महानगर—प्रथम	20
2.	जयपुर महानगर—द्वितीय	20
3.	जोधपुर महानगर	10
4.	कोटा	05
5.	अजमेर	05
6.	उदयपुर	05
7.	बीकानेर	05
8.	भरतपुर	05
9.	अलवर	03
10.	भीलवाड़ा	03
11.	श्रीगंगानगर	03
12.	जयपुर जिला	03
13.	पाली	03
14.	चित्तौड़गढ़	03
15.	बूंदी	03
16.	सीकर	03
17.	धौलपुर	03
18.	बारां	03
19.	हनुमानगढ़	03
20.	झालावाड़	03
21.	झुंझुनू	03
22.	दौसा	03
23.	करौली	03
24.	प्रतापगढ़	03
25.	राजसमंद	03

26.	सवाई माधोपुर	03
27.	टोंक	03
28.	बांसवाड़ा	03
29.	डूंगरपुर	03
30.	चुरु	03
31.	जैसलमेर	03
32.	जालौर	03
33.	मेड़ता	03
34.	सिरोही	03
35.	बालोतरा	03
36.	जोधपुर जिला	03

F. अन्य अधिकरण/बोर्ड/न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/आयोग हेतु :-

- (i) **राजस्थान राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग**
(माननीय अध्यक्ष महोदय के परामर्श से)
अध्यक्ष—माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं/न्यायिक सदस्य/सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी
सदस्य—आयोग का एक अन्य सदस्य/सेवारत-सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी/विशेषज्ञ अधिवक्ता (उपभोक्ता मामलों का जानकार)
- (ii) **सभी जिला उपभोक्ता मंचों एवं स्थायी लोक अदालत द्वारा रैफर किए गए प्रकरणों के लिए एक ही बैंच का गठन निम्नानुसार किया जावेगा—**
अध्यक्ष—संबंधित जिला उपभोक्ता मंच का अध्यक्ष (यदि न्यायिक सेवा से हो तो ही) अथवा स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष में से कोई एक सेवारत/सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी
सदस्य—जिला उपभोक्ता मंच/स्थायी लोक अदालत का सदस्य/विशेषज्ञ अधिवक्ता (उपभोक्ता मामलों/स्थायी लोक अदालत के मामलों का जानकार)
- (iii) **राजस्थान रीयल एस्टेट अपीलैट ट्रिब्यूनल (REAT) जयपुर एवं राजस्थान रीयल एस्टेट रेगुलेट्री अथॉरिटी (RERA), जयपुर द्वारा रैफर किये गये मामलों के लिए केवल एक ही बैंच का गठन निम्नानुसार किया जावेगा—**
[माननीय अध्यक्ष महोदय (REAT) के परामर्श से]
अध्यक्ष—माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं/न्यायिक सदस्य (RERA)/सेवारत-सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी
सदस्य—अध्यक्ष/सदस्य (RERA)/विशेषज्ञ अधिवक्ता (रीयल एस्टेट मामलों का जानकार)
- (iv) **केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण**
(माननीय अध्यक्ष महोदय के परामर्श से)
अध्यक्ष—माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं/न्यायिक सदस्य/सेवारत-सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी
सदस्य—अधिकरण का एक अन्य सदस्य/विशेषज्ञ अधिवक्ता (सेवा मामलों का जानकार)

- (v) **रेलवे क्लेम्स ट्रिब्युनल, जयपुर**
(अध्यक्ष महोदय के परामर्श से)
अध्यक्ष—संबंधित पीठासीन अधिकारी (यदि न्यायिक सेवा से हो तो ही)/सेवारत—सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी
सदस्य—ट्रिब्युनल का अन्य सदस्य/विशेषज्ञ अधिवक्ता (संबंधित मामलों का जानकार)
- (vi) **राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर**
(अध्यक्ष महोदय के परामर्श से)
अध्यक्ष—न्यायिक अधिकारी सदस्य/सेवारत—सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी
सदस्य—आयोग का एक अन्य सदस्य/सेवारत—सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी/विशेषज्ञ अधिवक्ता (संबंधित मामलों का जानकार)
- (vii) **राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण, जयपुर**
(अध्यक्ष महोदय के परामर्श से)
अध्यक्ष—न्यायिक सदस्य/सेवारत—सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी
सदस्य—अधिकरण का अन्य सदस्य/विशेषज्ञ अधिवक्ता (सर्विस मामलों का जानकार)
- (viii) **राजस्व मंडल अजमेर में**
(अध्यक्ष महोदय के परामर्श से)
न्यायिक अधिकारी—न्यायिक सदस्य/सेवारत—सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी
सदस्य—मंडल का एक अन्य सदस्य/सेवारत—सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी/विशेषज्ञ अधिवक्ता (राजस्व मामलों का जानकार)
- (ix) **राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर में**
(अध्यक्ष महोदय के परामर्श से)
न्यायिक अधिकारी—न्यायिक सदस्य/सेवारत—सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी
सदस्य—बोर्ड का एक अन्य सदस्य/सेवारत—सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी/विशेषज्ञ अधिवक्ता (कर मामलों का जानकार)
- (x) **ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर**
(पीठासीन अधिकारी महोदय के परामर्श से)
अध्यक्ष—सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी
सदस्य—संबंधित पीठासीन अधिकारी/विशेषज्ञ अधिवक्ता (संबंधित मामलों का जानकार)
- (xi) **अपीलीय अधिकरण जयपुर विकास प्राधिकरण**
अध्यक्ष—अधिकरण का पीठासीन अधिकारी/सेवारत—सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी
सदस्य—विशेषज्ञ अधिवक्ता (जेडीए मामलों का जानकार)
- (xii) **राजस्थान गैर—सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिकरण जयपुर, राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण जयपुर, राजस्थान वक्फ ट्रिब्युनल, जयपुर, लैंड**

एक्वीजीशन रि-हेबीलीटेशन एण्ड रि-सैटलमेंट अथॉरिटी (LARRA) जयपुर तथा राजस्थान राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण जयपुर के रैफर किए गए मामलों के लिए केवल एक ही बेंच का गठन निम्नानुसार किया जावेगा:-

अध्यक्ष-संबंधित अधिकरणों के पीठासीन अधिकारीगण में से कोई एक पीठासीन अधिकारी

सदस्य-विशेषज्ञ अधिवक्ता (संबंधित मामलों का जानकार)

(xiii) श्रम आयुक्त/उप-आयुक्त द्वारा रैफर किए गए मामलों को संबंधित श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा रैफर किए गए मामलों के लिए गठित बेंच में ही रखा जावेगा। यदि किसी जिला मुख्यालय पर श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थित नहीं है, वहां पर श्रम आयुक्त/उप-आयुक्त द्वारा रैफर किए गए मामलों को संबंधित जिला मुख्यालय पर गठित अन्य बेंच में रखा जावेगा।

(xiv) अन्य प्राधिकारी/अधिकरण/मंच/आयोग, आदि, जो कि अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही के तहत अपील, निगरानी अथवा निर्देश आदि की सुनवाई करने में सक्षम है, के यहाँ

(संबंधित पीठासीन अधिकारी महोदय के परामर्श से)

अध्यक्ष-सेवारत-सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी

सदस्य-संबंधित पीठासीन अधिकारी स्वयं या उनके द्वारा मनोनीत एक सेवारत-सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी/विशेषज्ञ अधिवक्ता (संबंधित मामलों का जानकार)

2. प्रत्येक बेंच के लिए आवश्यकतानुसार अधिकतम 02 कर्मचारियों (किसी भी स्तर के) तथा 01 सहायक कर्मचारी की ही ड्यूटी लगायी जा सकेगी। यदि किसी बेंच में एक से अधिक न्यायालय की पत्रावलियां रखी जाती हैं तो दूसरे न्यायालयों/फोरम से पत्रावलियां प्रस्तुत करने हेतु संबंधित न्यायालयों/फोरम से 01-01 कर्मचारी (किसी भी स्तर के) की ड्यूटी लगाई जा सकेगी।
3. राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच के लिए All in one Computer/Laptop/I-pad/Smart Phone की उपलब्धता होना आवश्यक है।
4. बेंच के समक्ष दिनांक 12.11.2022 को पक्षकारों/अधिवक्तागण द्वारा ऑफलाइन राजीनामा भी पेश किया जा सकता है।

4. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश (Other Important Instructions) :-

- a. राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए सभी सरकारी विभागों, निगमों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, सभी वाणिज्यिक बैंकों/ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों/वित्तीय संस्थानों के राज्य प्रमुखों, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, बीमा कम्पनियों के राज्य प्रमुखों, अधिवक्तागण, पक्षकारान्, सभी संबंधित सरकारी अधिकारीगण/कर्मचारीगण व अन्य सभी स्टेक होल्डर्स के भरपूर सहयोग की अपेक्षा है, परन्तु किसी भी प्रकार की कठिनाई या परेशानी होने पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क किया जा सकता है या व्हाट्सएप या ई-मेल के जरिए संदेश भेजा जा सकता है।
- b. राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के ऐसे प्रकरण सम्मिलित नहीं होंगे जिनमें विधि अनुसार डिक्री पारित नहीं हो सकती हो।

- c. प्री-लिटिगेशन के मामलों में राजीनामा सत्यापित करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि विधि विरुद्ध पंचाट या आदेश पारित न हो पाए।
- d. पक्षकारों व उनके अधिवक्तागण के न्यायालय में उपस्थित होने की स्थिति में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों की कठोरतापूर्वक पालना सुनिश्चित की जाएगी।
- e. समस्त सिविल एवं फौजदारी न्यायालय/राजस्व न्यायालय/अधिकरण/मंच/अथॉरिटी/आयोग/अन्य प्राधिकारी, जैसे श्रम आयुक्त/उप-आयुक्त, आदि राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रैफर किए जाने वाले प्रकरणों के संबंध में आवश्यक जानकारी संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली समय-सारिणी के अनुसार आवश्यक रूप से साझा करेंगे, जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अविलम्ब राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित किया जाएगा।
- f. राष्ट्रीय लोक अदालत में बेहतर/उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले न्यायिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/राजस्व अधिकारी/विभाग प्रमुख/बैंक प्रमुख/ बीमा कंपनी प्रमुख/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के अधिकारी-कर्मचारी/नाबार्ड के अधिकारी-कर्मचारी/आयोजना विभाग-सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के अधिकारी-कर्मचारी को समुचित स्तर पर सम्मानित करते हुए प्रशंसा पत्र जारी किए जावेंगे।

5. प्रचार-प्रसार (Publicity Measures):-

● राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर:-

प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में सरकार के स्तर पर फुल पेज विज्ञापन प्रकाशित कर, सार्वजनिक स्थान/सरकार द्वारा घोषित विज्ञापन साईट्स पर होर्डिंग्स के माध्यम से, जगह-जगह बैनर/पोस्टर के माध्यम से, राजकीय एल.सी.डी/दूरदर्शन एवं निजी टीवी चैनल्स पर विडियो प्रसारण के साथ-साथ बल्क मैसेजिंग, सभी राजकीय मोबाईल नम्बरों पर कॉलर ट्यून् इंस्टाल करके, राजकीय वैबसाईट्स पर पॉप-अप बैनर प्रदर्शित करके, आकाशवाणी एवं निजी रेडियो चैनल्स पर ऑडियो प्रसारण के माध्यम से आमजन में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा।

● जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर:-

1. राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु स्थानीय समाचार पत्रों/टीवी चैनल्स/आकाशवाणी/एफ.एम. चैनल्स की सेवाएं ली जा सकेंगी।
2. सभी राजकीय कार्यालयों/राजकीय उपक्रमों/बैंकों एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर बैनर/पोस्टर, आदि (आवश्यकतानुसार एवं हरसंभव मितव्ययता बरतते हुए) प्रदर्शित किये जा सकेंगे।
3. कोविड-19 के तत्समय प्रभावी दिशा-निर्देशों की कठोरतापूर्वक पालना करते हुए पेशेवर लोगों (Professionals)/संगठनों के माध्यम से नियमानुसार मितव्ययी दरों पर रैलियाँ एवं नुक्कड नाटक आयोजित कर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवादों के निपटारे के प्रति आकर्षण पैदा किए जाने का प्रयास किया जावेगा।
4. कोविड-19 के तत्समय प्रभावी दिशा-निर्देशों की कठोरतापूर्वक पालना करते हुए डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्प के दौरान स्थानीय लोक कलाकारों को सम्मिलित करते हुए यथासंभव स्थानीय भामाशाहों के सहयोग से या विकल्प में नियमानुसार मितव्ययी दरों पर गरीमामय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर

राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवादों के निपटारे के प्रति विशेष आकर्षण पैदा किए जाने का प्रयास किया जावेगा।

निजी वाहनों पर उचित दरों पर लाउड स्पीकर के माध्यम से ऑडियो रिकॉर्डिंग के प्रसारण द्वारा/सफाई वाहनों पर ऑडियो रिकॉर्डिंग के प्रसारण के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जा सकेगा।

आज्ञा से

-sd-

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।